

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अभिषेक अकेला (कोटि क्रमांक-231/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, दुल्हन बाजार, पटना के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-110/2025 दिनांक-13.12.2025 दर्ज होने तथा इस क्रम में निगरानी धावा-दल द्वारा दिनांक-17.12.2025 को परिवादी से 10,000/- (दस हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1617 दिनांक-06.04.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री अकेला को कारा-निरोध की तिथि यथा-17.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि श्री अकेला द्वारा जमानत पर न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त दिनांक-19.05.2026 को उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना में योगदान समर्पित किये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2993 दिनांक-10.06.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(3)(i) में निहित प्रावधान के तहत इनके द्वारा दिनांक-19.05.2026 को समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से ही इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया। चूंकि श्री अकेला के विरुद्ध प्रतिवेदित मामला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने जैसे अत्यन्त गंभीर/घोर कदाचार की श्रेणी में होने तथा उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के सर्वथा प्रतिकूल होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय आदेश ज्ञापांक-3007 दिनांक-10.06.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(3)(ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में नियम-9 के उप नियम-(1)(क) एवं (ग) के तहत श्री अकेला को आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया गया।

3. विदित हो कि उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1080 दिनांक-30.06.2026 द्वारा श्री अकेला के विरुद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, परन्तु उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5840 दिनांक-18.06.2020 की कंडिका-8(ii) एवं महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-441 दिनांक-09.03.2026 द्वारा परिचारित निर्देशों के संगतयुक्त नहीं होने के साथ-साथ आरोप पत्र के गठन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिचारित विहित प्रपत्र के अनुरूप नहीं होने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-3590 दिनांक-03.07.2026 एवं अन्य स्मारों द्वारा संशोधित आरोप पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध किया गया, परन्तु श्री अकेला के निलंबनादेश निर्गत होने के 03 (तीन) माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संशोधित आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, पटना के स्तर से अप्राप्त है।

4. फलतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(7) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री अकेला के निलंबनादेश को अगले 04 (चार) माह तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

विभागीय आदेश ज्ञापांक-3007 दिनांक-10.06.2026 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(चन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र08-गो0आ0(पटना)-01/2026 5727 /खाद्य, पटना/दिनांक 11/9/2026
प्रतिलिपि-1. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

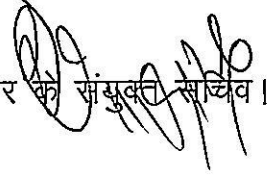
2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. उप सचिव, प्रशाखा-03 एवं आईटी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री अभिषेक अकेला (कोटि क्रमांक-231/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, दुल्हिन बाजार, पटना सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, सुपौल), मोबाईल संख्या-9708440298, E-Mail : akela9708440298@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।